

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी  
जिला सवाई माधोपुर  
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर  
02/2025

तारीख रजू  
01.09.2025

तारीख निर्णय  
18.2.2026

1. रामकिशन पुत्र हजारी, मीना निवासी नारायणपुर तह0 तलावडा  
2. सम्पत पुत्र हजारी, मीना निवासी नारायणपुर तह0 तलावडा —प्रार्थीगण  
बनाम

1. जयपाल पुत्र प्रभू, मीना निवासी नारायणपुर तह0 तलावडा
2. मट्टू पुत्र प्रभू, मीना निवासी नारायणपुर तह0 तलावडा
3. विनोद पुत्र प्रभू, मीना निवासी नारायणपुर तह0 तलावडा
4. मंगो बेबा प्रभू, मीना निवासी नारायणपुर तह0 तलावडा
5. सरकार जरिए तहसीलदार तलावडा
6. रामस्वरूप पुत्र भैरू, मीना निवासी नारायणपुर तह0 तलावडा
7. रामकेश पुत्र सांवलियों, मीना निवासी नारायणपुर तह0 तलावडा
8. कलावती पुत्री सांवलियों, मीना निवासी नारायणपुर तह0 तलावडा
9. भौतीबाई पुत्री सांवलियों पत्नी आशाराम, मीना निवासी खिरनी तह. बौली
10. मनभर बाई पुत्री सांवलियों पत्नी कैलाश, मीना नि. कौडियाई तह0 बौली
11. किरोडी पुत्र टीकाराम, मीना निवासी नारायणपुर तह0 तलावडा
12. चेताराम पुत्र टीकाराम, मीना निवासी नारायणपुर तह0 तलावडा
13. मानसिंह पुत्र टीकाराम, मीना निवासी नारायणपुर तह0 तलावडा
14. सरूपी पत्नि टीकाराम, मीना निवासी नारायणपुर तह0 तलावडा

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राज0 अधिनियम  
उपस्थित :- श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व  
अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि ख0न0 145 रकबा 0.08  
है0, ख0न0 146 रकबा 0.30 है0, ख0न0 190 रकबा 0.26 है0, ख0न0 191  
रकबा 0.09 है0, ख0न0 199 रकबा 0.23 है0, ख0न0 210 रकबा 0.34 है0,  
ख0न0 211 रकबा 0.03 है0, ख0न0 770 रकबा 0.17 है0, ख0न0 772 रकबा 1.  
77 है0, ख0न0 778 रकबा 0.69 है0 ग्राम नारायणपुर तह0 तलावडा प्रार्थीगण  
की खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण की भूमि से लगती हुई अप्रार्थीगण की भूमि  
स्थित है। प्रार्थीगण डोल मेड को लेकर आये दिन प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण मे

उपखण्ड अधिकारी  
गंगापुर सिटी (राज0)

( 2 )

भूमि की डोल मेड को लेकर आये दिन विवाद होता रहा है। इसलिए प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान का दिनांक 22.5.25 को करवा लिया। अप्रार्थीगण ने इन सीमाचिन्हो को मानने से इंकार कर रहा है। इसलिए यह पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0न0 145 रकबा 0.08 है0, ख0न0 146 रकबा 0.30 है0, ख0न0 190 रकबा 0.26 है0, ख0न0 191 रकबा 0.09 है0, ख0न0 199 रकबा 0.23 है0, ख0न0 210 रकबा 0.34 है0, ख0न0 211 रकबा 0.03 है0, ख0न0 770 रकबा 0.17 है0, ख0न0 772 रकबा 1.77 है0, ख0न0 778 रकबा 0.69 है0 ग्राम नारायणपुर तह0 तलावडा का की पत्थरगढी के आदेश तहसीलदार की मौजूदगी मे टीम से कराये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 150, 168, 90, 151, 152,212, 111 ग्राम नारायणपुर, नकल नक्शा ट्रेस, फोटोकोपी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 22.5.25 प्रस्तुत किए हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए।

वकील प्रार्थी को सुना गया।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 के अनुसार वादग्रस्त भूमि भूमि ख0न0 145 रकबा 0.08 है0, ख0न0 146 रकबा 0.30 है0, ख0न0 190 रकबा 0.26 है0, ख0न0 191 रकबा 0.09 है0, ख0न0 199 रकबा 0.23 है0, ख0न0 210 रकबा 0.34 है0, ख0न0 211 रकबा 0.03 है0, ख0न0 770 रकबा 0.17 है0, ख0न0 772 रकबा 1.77 है0, ख0न0 778 रकबा 0.69 है0 ग्राम नारायणपुर तह0 तलावडा प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है इसलिए प्रार्थीगण भूमि की पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है। फलस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार तलावडा को आदेश दिया जाता है कि मौके पर कोई विवाद नहीं हो तो वह प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0न0 145 रकबा 0.08 है0, ख0न0 146 रकबा 0.30 है0, ख0न0 190 रकबा 0.26 है0, ख0न0 191 रकबा 0.09 है0, ख0न0 199 रकबा 0.23 है0, ख0न0 210 रकबा 0.34 है0, ख0न0 211 रकबा 0.03 है0, ख0न0 770 रकबा 0.17 है0, ख0न0 772 रकबा 1.77 है0, ख0न0 778 रकबा 0.69 है0 ग्राम नारायणपुर तह0 तलावडा

उपखण्ड अधिकारी  
गंगापुर सिटी (राज०)

( 3 )  
की पत्थरगढी करवावें। निर्णय की एक प्रति पालना हेतु तहसीलदार लैण्ड  
होल्डर तलावडा को भिजवाई जावे।

पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल  
दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.2.26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( <sup>Panna</sup> बृजेन्द्र मीना )  
उपजिल्हा कमिश्नर  
गंगानापुरि (सिटीज०)